भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †715
दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए

छठी अनुसूची क्षेत्रों में खनन कार्यकलाप

†715. श्री गौरव गोगोईः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को छठी अनुसूची क्षेत्रों में, जिसमें असम का दीमा हसाओ जिला भी शामिल है, खनन प्रयोजनों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन के संबंध में हाल ही में न्यायिक टिप्पणियों की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और स्वायत्त जिलों में भूमि उपयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों के लागू प्रावधानों के साथ ऐसे आवंटनों के अनुपालन की जांच की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) छठी अनुसूची क्षेत्रों में खनन पट्टों द्वारा जनजातीय समुदायों और स्थानीय पर्यावरण के अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करने या संशोधित निर्देश जारी करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे क्षेत्रों में खनन के लिए भूमि आवंटन जनहित और संवैधानिक संरक्षणों के अनुरूप हो और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "मेघालय राज्य बनाम ऑल दीमासा स्टूडेंटस यूनियन, दीमा साओ जिला समिति और अन्य" मामले में 2018 की सिविल अपील संख्या 10720 में अपने दिनांक 03.07.2019 के फैसले में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह माना है कि मेघालय राज्य के पहाड़ी जिलों में यथा लागू भूमि अवधि प्रणाली के अनुसार, अधिकांश भूमि या तो निजी है या सामुदायिक स्वामित्व वाली है जिसमें राज्य किसी अधिकार का दावा नहीं करता

है। भूमि के निजी मालिकों और सामुदायिक मालिकों दोनों के पास सतही अधिकार के साथ-साथ उप-मृदा अधिकार भी हैं।

(ख) से (घ): राज्य सरकारें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। एमएमडीआर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में दोनों मामलों अर्थात जहां खनिज राज्य सरकारों के पास हैं और जहां खनिज सरकार से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं, के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है। इसके अलावा, खनिज रियायतें (छठी अनुसूची क्षेत्रों सहित) प्रदान करने से पहले, पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी सहित केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से अपेक्षित कानूनी मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है।

पर्यावरणीय मंजूरी के अनुदान के भाग के रूप में, संभावित पट्टेदार पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करते हैं और आधारभूत पर्यावरण पर परियोजना कार्यकलाप के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत करते हैं। खनन पट्टा धारक पर्यावरण मंजूरी के दौरान यथा अनुमोदित पर्यावरण शमन उपायों को कार्यान्वित करते हैं। उपरोक्त प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में खनन के लिए भूमि आवंटन लोकहित और संवैधानिक सुरक्षा के अनुरूप हो।

*****